न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बाँली स0मा0

पीठासीन अधिकारी :– विजेन्द्र कुमार मीना आर.ए.एस.

अपील सं0 04/2015

1. हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी –थनेरा तहसील बाँली।

अपीलान्ट

1. दौलत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी थनेरा हाल एन0बी0सी0 क्वाटर्स एसडी 202 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
2. गणपत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी थनेरा हाल एन0बी0सी0 क्वाटर्स एसडी 202 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर।
3. उम्मेद सिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी थनेरा हाल एन0बी0सी0 क्वाटर्स एसडी 202 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
4. चॉद कंवर पुत्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी थनेरा हाल एन0बी0सी0 क्वाटर्स एसडी 202 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
5. मोहन कंवर पुत्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी थनेरा हाल एन0बी0सी0 क्वाटर्स एसडी 202 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
6. सरपंच ग्राम पंचायत मोरण तहसील बाँली जिला स0मा0।
7. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसीलदार बाँली जिला स0मा0।
8. उप पंजीयक मित्रपुरा तहसील बाँली जिला स0मा0।

रेस्पोन्डेन्टस

वकील अपीलान्ट :– श्री नरेन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट

वकील रेस्पो0 स. 1 ल0 5 :–श्री वी0पी0 सिंह राजावत एडवोकेट

दिनांक :– 24/5/18

निर्णय

यह अपील ग्राम पंचायत मोरण द्वारा खोले गए नामान्तकरण सं0 34 दिनांक 24/6/1963 के विरूद्ध पेश की गई है। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। वकील अपीलान्टस का कथन है कि अपीलग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम थनेरा खाता स0 75 की भूमि अपीलान्टस व रेस्पोन्डेन्टस की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें उभय पक्षकारान का हिस्सा बनता है एंव गलती से रेस्पोन्डेन्टस के पिता एंव उनके बाद रेस्पोन्डेन्टस के नाम लगी है जो नामान्तकरण सं0 34 दिनांक 24.06.1963 के जरिये लगी है उक्त भुमि विरासतन

Scanned by CamScanner

हम अपीलान्टस के भी क्रमशः 1/12 , 1/12 हिस्सा का नामांन्तकरण खोला जाना था। इस कारण अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 34 दिनांक 24.06.1963 ग्रामपं0 मोरण खारिज किये जाने योग्य है , साथ ही एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर मियाद कन्डोन किये जाने का निवेदन किया वकील रेस्पोन्डेन्टस ने अपनी बहस के दौरान प्रथम दृष्टया धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र पर जोर देकर कहा कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण 24.06.1963 से आज 55 वर्षो की अवधि निकल चुकी है एंव अपील भारी अवधिपार होने से खारिज किए जाने योग्य है वहीं रेस्पोन्डेन्टस अधिवक्ता का कथन यह भी है कि अपीलान्टस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में न तो जानकारी की तिथि और न ही जानकारी का जरिया लेखबद्व किया है एंव ना ही जिससें जानकारी हुई उसका शपथ पत्र पेश किया है। साथ ही रेस्पोन्डेन्टस ने उक्त अपीलाधीन नामा0 में शामिल भूमि स्व0 जोधी जी ठुकरानी सा की निजी, स्वअर्जित(हवाला) की सम्पत्ति बताते हुए दिनांक 05.05.1959 की खातेदारा की असल वसीयत प्रस्तुत करते हुए एवं दि0 16.11.1961 का डिप्टी कलेक्टर जागीर स0 माधोपुर का स्व0 जोधी जी ठुकरानी का रेस्पो0 के पिता रघुवीर सिंह को जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि ठुकरानी जोधी जी की निजी भूमि है जिसकी वसीयत पत्र एंव उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर खोला गया नामान्तरण है जो सही है एवं अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

उभय पक्ष की बहस , पत्रावली एंव उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो प्रथमतः न्यायालय को अपील के विषय में मियाद के बिन्दु को देखना होता है ऐसे में नामान्तरण सं0 34 दि0 24.06.1963 की अपील प्रस्तुत करने के वक्त 52 वर्ष की अवधि निकल चुकी है जो काफी लम्बा समय है एवं धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र पर गौर करते हैं तो अपीलान्टस द्वारा न तो जानकारी का जरिया और ना ही दिनांक अंकित की गयी है ऐसे में नकल निकलवाने की तारीख को जानकारी की तिथि नहीं माना जा सकता। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्वयं अपीलान्ट के पिता को वसीयत के दिन जिसमें अपीलान्ट के पिता के भी हस्ताक्षर है एवं स्वयं अपीलान्ट को दि0 11.09.1994 को उभय पक्ष के मध्य समाज के पंच पटेलान के मध्य राजीनामे से उक्त भूमि, उसके विवाद एंव उसके नामान्तकरण की जानकारी थी ऐसे में अपीलान्ट जानकारी न होने के तथ्य पर पाक साफ नहीं है एवं अपील भारी मियाद बाहर है परन्तु न्यायालय को आज अपीलग्रस्त नामान्तकरण के गुणावगुण पर भी अपना मत जाहिर करना है। ऐसे में वकील

Scanned by CamScanner

हरिसिंह बनाम दौलत सिंह बगौरा

अपीलान्ट ने दौराने बहस अथवा दस्तावेज से ये प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त भूमि किस प्रकार पैतृक है अथवा उनके दादा परदादा की सम्पत्ति है वहीं दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजियात स्व0 ठुकरानी जोधी जी की खातेदारी की भूमि रही है इसके पहले का रिकॉर्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसे में हमारे विनम्र अभिमत में उक्त निजी सम्पत्ति के वसीयत दि0 05.05.1959 एंव उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 16.11.1961 के आधार पर ग्राम पं0 मोरण द्वारा दि0 24.06.1963 को खोले गयें नामान्तकरण सं0 34 में किसी प्रकार कि त्रुटि नहीं पायी जाती है साथ ही अपीलान्टस द्वारा उक्त वसीयत अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के विरुद्ध कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण यह अपील मियाद एवं गुणावगुण के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने योग्य नही पातें है।

अतः यह अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं0 34 दि0 24.06.1963 खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

आज दिनांक 24/5/18 ....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner